

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 107/2019 (2019/00227)

बाज दायर दिनांक 10.10.2019

अन्तर्गत धारा :- 212 आर.टी.एक्ट व

सपठित आदेश 39-नियम -1-2 स0धारा 151 जा0दी0

शीर्षक

1. श्री विकास पिता भैरूलाल राव निवारी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री कालुराम पिता भैरूलाल राव निवारी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती सीता देवी बेवा भैरूलाल राव निवारी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. ममता देवी पुत्री भैरूलाल राव निवारी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोर्धनलाल पिता मांगीलाल राव निवारी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर (भीलवाडा)

—विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री मुकेश कुमार चौधरी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित आदेश 39 नियम एक व दो सपठित धारा 151 जा0दी0

निर्णय

दिनांक 08.02.2021

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में प्रार्थीगण के दादा श्री मांगीलाल पिता देबीलाल राव के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त में राजस्व खाता संख्या 124 में वर्णित साबिक आराजी संख्या 35 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 36 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 41 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 74 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 82 रकबा एक बिघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 98 रकबा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 112 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 6 बिघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 प्रस्तुत है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात का भू-प्रबंध हुआ और भू-प्रबंध के दौरान नवीन आराजियात एवं नवीन रकबा कायम किया गया जिसमें साबिक आराजी संख्या 35 रकबा 13 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे0, साबिक आराजी संख्या 36 रकबा 15 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे0, साबिक आराजी संख्या 41 रकबा 7 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे0, साबिक आराजी संख्या 74 मी0 रकबा 2 बिघा 3 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 107 रकबा 0.29 हे0,



1.

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज)

साबिक आराजी संख्या 82 रकबा 1 बिघा 7 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे0, साबिक आराजी संख्या 112 रकबा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे0, साबिक आराजी संख्या 98 रकबा 17 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे0 बने जिसका मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण के दादा श्री मांगीलाल पिता देवीलाल द्वारा छोड़ी गई मौरुषि जायदाद के साबिक आराजीयात के नवीन नम्बर कायम किये जो निम्न है -

आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.43 हे0 भूमि स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी 2069 से 2072 प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है:-

मूल पुरुष  
मांगीलाल (फौत)

┆

┆-----┆  
भैरूलाल (पुत्र)फौतगोरधन (पुत्र)

┆

┆-----┆┆-----┆┆-----┆  
विकाश (पुत्र) कालुलाल (पुत्र) ममता (पुत्री) सीता देवी (पत्नि)

यह कि आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.43 हे0 भूमि हम प्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 के दादा व 3 के ससुर एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता द्वारा छोड़ी गई मौरुषि जायदाद है। जिसमें मांगीलाल के वारिसान है जिसमें मांगीलाल के 2 पुत्र भैरूलाल व प्रतिवादी संख्या 1 है जिसमें मांगीलाल के फौत होने के पश्चात 1/2 हिस्सा हम प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या एक का बनता है तथा हम प्रार्थीगण के पिता व पति श्री भैरूलाल की मृत्यु आज से करीब 1 साल पूर्व हो गयी थी जिसमें उनकी विरासत का इन्तकाल हम प्रार्थीगण के नाम 1/2 हिस्से से खुलना चाहिये था लेकिन हम प्रार्थीगण के पिता व पति असकर बिमार होने से एवं उनका मानसिक संतुलन विगत 20 वर्षों से खराब होने के कारण उसका फाईदा विपक्षी संख्या एक ने उठा कर दिनांक 20.08.2007 को एक रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र बिना प्रतिफल के

2.

2.  
महश्विक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गाणपुर जिला भीलवाडा (राज.)

एवं हम प्रार्थीगण के पिता व पति की उपस्थिति के बिना एवं बिना हम प्रार्थीगण की जानकारी के ही तहसीलवालों ने साठ गांठ करके रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र निष्पादित करवा लिया जिसकी जानकारी हम प्रार्थीगण को अपनी मौरुषि जायदाद के विरासत का ईन्तकाल खुलवाने के लिये दिनांक 26.02.2016 को पटवार हल्का भूणास के यहा जाने से हुई जिससे नामान्तरकरण संख्या 158 दिनांक 24.10.2007 ग्राम पंचायत भूणास की नकल हम प्रार्थीगण द्वारा ली तब जाके पता चला जिससे ग्राम पंचायत भूणास उक्त नामान्तरकरण संख्या बिना हम प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना दिये एवं न हमे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाला बाला तथाकथित नामान्तरकरण संख्या पंचायत भूणास ने विपक्षी संख्या 1 के नाम निर्णित कर दिया जबकि पटवार हल्का द्वारा उक्त शून्य दस्तावेज जो हम प्रार्थीगण के हक एवं हिस्से के हकत्यागपत्र की रजिस्ट्री की भी जांच नहीं की एवं विपक्षी संख्या एक ने ग्राम पंचायत भूणास से मिलकर हम प्रार्थीगण ने हक की भूमि का भी नामान्तरकरण कर उक्त निर्ण पारित फरमा दिया जो प्राथमिक दृष्टि से गलत एवं शून्य है जबकि हम प्रार्थीगण भी मृतक मांगीलाल व उनके पुत्र भेरूलाल के जायज वारिसान होकर प्रथम श्रेणी वारिसान है और विपक्षी संख्या एक के मुकाबले में मांगीलाल एवं भेरूलाल द्वारा छोड़ी गई समस्त आराजीयात में हम प्रार्थीगण का भी संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा बनता है जिससे उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में हम प्रार्थीगण का विपक्षी संख्या एक के समान ही हक बनता है परन्तु विपक्षी संख्या एक ने जानबुझ कर प्रार्थीगण का हक समाप्त करने की नियत से ग्राम पंचायत भूणास में गलत रजि0 हकत्याग पत्र निष्पादित कराया बताकर नामान्तरकरण अपने नाम फैंसल करा लिया जो हम प्रार्थीगण के मुकाबले में शून्य एवं निरस्त किये जाने योग्य है। तथा विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 20.08.2007 को बिना प्रतिफल दिये एवं बिना विभाजन किये ही प्रार्थीगण के पिता की मानसिक स्थिति बीमार होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जो हकत्याग पत्र निष्पादित करा लिया जो हम प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य घाषित करया जाना आवश्यक है जिससे हम प्रार्थीगण के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री इस आशय की सादिर फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि राजस्व ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास में स्थित राजस्व खाता संख्या 37 में वर्णित आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.43 हे0 भूमि में प्रार्थीगण का 12 हिस्सा बनता है तथा हम मृतक मांगीलाल के जायज वारिसान होकर मांगीलाल द्वारा छोड़ी गई समस्त आराजियात में 1/2 हिस्से में खातेदार काश्तकार है। जिससे हम प्रार्थीगण का नाम 1/2 हिस्से से खातेदारी काश्तकार के रूप में नाम अंकन किया जावे।

यह कि भूबन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा की गई प्रविष्टि को यदि दुरुस्त नहीं किया गया एवं प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये तो प्रार्थीगण अपनी मौरुसी आराजियात से वंचित हो जावेंगे एवं व्यर्थ के मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारी असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि असंभव है।

3.

विभागाध्यक्ष कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
मगधपुर जिला भोलयादा (राज.)

यह कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि सुविधा संतुलन एवं न्याय संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि विपक्षीगण को बजरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ति किया जाना कदापि असंभव है। पक्षकारान के मध्य कई तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जावेंगे। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास में स्थित राजस्व खाता संख्या 37 में वर्णित आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे०, आराजी संख्या 108 रकबा 0.21 हे०, आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे०, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे०, आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे०, आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे०, आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे०, आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे०, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे०, आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे०, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे० कुल किता 11 कुल रकबा 1.43 हे० भूमि को विपक्षी संख्या एक न तो विक्रय करें, न रहन रखें, न बय बक्षीस करें एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई अन्तरण करें एवं राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें साथ ही विपक्षी संख्या 02 को पाबंद कराया जावें कि विपक्षी संख्या एक किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र, दानपत्र, बय बक्षीस या अन्य को कोई भी दस्तावेज पेश करे तो उसके रजिस्टर्ड नहीं करें और गलती से कर दिया जावे तो उसके आदेशात्मक आज्ञा से पूर्व स्थिति में लाया जावें एवं कब्जे से भी प्रार्थी को बेदखल कर दिया जावें तो उसे कब्जा पुनः दिलाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2019 को बाजदायर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। परोकार सरकार उपस्थित।

परोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन किया गया जो इस प्रकार है:-

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक व दो उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण अपने हक से महरूम हो जायेगे, इसके मुकाबले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथीया के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
महापौर जिला भीलवाड़ा (राज.)


**द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलन:-** चूंकि वाद वर्णित आराजियात में खातदारी एक से प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।


**तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षति:-** प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कल्पना की है कि उक्त आराजियात विपक्षीगण अन्य को हस्तान्तरित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र रवीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास में स्थित राजस्व खाता संख्या 37 में वर्णित आराजी संख्या 107 रकबा 0.25 हे0, आराजी संख्या 108 रकबा 0.21 हे0, आराजी संख्या 130 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 131 रकबा 0.15 हे0, आराजी संख्या 134 रकबा 0.14 हे0, आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 हे0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.08 हे0, आराजी संख्या 199 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.11 हे0, आराजी संख्या 208 रकबा 0.07 हे0 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 1.43 हे0 भूमि को विपक्षी संख्या एक किसी अन्य को रहन, वय, बर्क्षीरा या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें करावें तथा मूलवाद के ताफैसला विपक्षी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड की यथार्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 08.02.2021 को सारे इजलारा सुनाया गया।



  
(विकास पंचोली)  
सहायक कलेक्टर एवं (राजस्व)  
पदेन, उपखण्ड अधिकारी गंगापुर